[2009] 13 (ADDL.) एस.सी.आर. 580

संदर्भ में : कैट सदस्य का आपराधिक अभित्रास

रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 23 सन 2008

25 अगस्त 2009

[भारत के मुख्य न्यायाधिपति के० जी० बालाकृष्णन , न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम और न्यायमूर्ति डॉ. बी.एस. चौहान]

पत्र याचिका - पुलिस अधिकारियों द्वारा कैट के न्यायिक अधिकारी को आपराधिक अभित्रास - उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत: संज्ञान रिट याचिका और आपराधिक अवमानना कार्यवाही - कैट की पटना पीठ के समक्ष आपराधिक अवमानना - भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक सदस्य का पत्र जिसमें घटना को आपराधिक रिट याचिका माना गया - राज्य सरकार ने यह कहते हुए आरोप स्वीकार कर लिया कि घटना इसलिए हुई क्योंकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मानसिक विकास से ग्रस्त थी - अभिनिर्धारित : आरोप निराधार नहीं हैं - उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण को लंबित रिट याचिका और अवमानना कार्यवाही को आगे बढ़ाने का निर्देश - राज्य अधिकारियों को सेवा में रहने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की उपयुक्तता तय करनी होगी - केंद्र और राज्य सरकारों को कैट के सदस्यों को न्यूनतम शिष्टाचार और पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश ।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के एक न्यायिक सदस्य को राज्य के गेस्ट हाउस में अपने आधिकारिक प्रवास के दौरान एक उच्च पुलिस अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या 3) और आठ अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा आपराधिक अभित्रास किया गया था। इस संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी । झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका और आपराधिक अवमानना प्रारंभ की गई थी। कैट की पटना पीठ ने भी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ की। न्यायिक अधिकारी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर घटना के बारे में अवगत कराया और कैट के सदस्यों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध किया । पत्र को आपराधिक रिट याचिका माना गया। प्रतिवादी-राज्य सरकार ने सभी आरोपों को स्वीकार किया और कहा कि प्रतिवादी संख्या 3 ने जल्दबाजी में और मानसिक विकार के प्रभाव में कार्य किया था। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि आठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 ने यह कहते हुए बिना शर्त क्षमा मांगा कि यह घटना अनाशयित और मानसिक विकार के प्रभाव में हुई।

न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए

अभिनिर्धारित : 1. प्रत्यर्थी संख्या 3 और उसके साथ आठ अन्य पुलिस कर्मियों के हाथों कैट के न्यायिक सदस्य को आपराधिक अभित्रास और अपमानित करने के आरोपों को सारहीन नहीं कहा जा सकता है। चूंकि झारखंड राज्य ने पूरी जांच की थी और रिपोर्ट सौंपी थी और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि रिट याचिका और आपराधिक अवमानना याचिका झारखंड उच्च न्यायालय और पटना की कैट पीठ में लंबित है, यह न्यायालय उक्त घटना के संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जानी आवश्यक है, इस संबंध में कोई राय व्यक्त करना उचित नहीं समझती है। [पैरा 15) [587-सी-ई]

2. संबंधित न्यायालय/अधिकरण विधि के अनुसार आगे कार्यवाही करेंगे। यह राज्य प्राधिकारियों को निर्णीत करना है कि क्या प्रत्यर्थी संख्या 3 राज्य को कोई सेवा प्रदान करने के लिए उपयुक्त है और यदि हां, तो किस क्षमता में। [पैरा 15) [587-ई]

3. यह निर्देशित किया जाता है कि भारत संघ और संबंधित राज्य कैट के सभी सदस्यों को अपेक्षित न्यूनतम शिष्टाचार और पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेंगे। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के नियंत्रणाधीन सभी संबंधित अधिकारियों/व्यक्तियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। [पैरा 16] [587-जी-एच]

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता : रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 23 सन 2008।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत

यू०यू० ललित (न्यायमित्र) , राजू रामचन्द्रन , मनीष कुमार (गोपाल सिंह के लिये) , नरेश कौशिक, सुभाष कौशिक , रूपेश कौशिक(सुषमा सूरी के लिए) अनिल कुमार झा , मनोरंजन कुमार झा , राजीव कुमार सिंह आलोक कुमार उपस्थित पक्षकारों के लिए

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डॉ. बी.एस. चौहान द्वारा सुनाया गया।

1. यह मामला आंखें खोलने वाला है क्योंकि इससे पता चलता है कि जिन लोगों को न्याय प्रदान करने का गंभीर कर्तव्य समनुदेशित किया गया है, उन्हें उन अधिकारियों द्वारा जिन पर विधि और व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व है , आपराधिक अभित्रास का सामना करना पड़ रहा है, ।

2. इस याचिका को उद्भूत करने वाले तथ्य और परिस्थितियां यह हैं कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (इसके बाद 'कैट' कहा जाएगा) के न्यायिक सदस्य श्री बी.वी. राव को कैट के माननीय अध्यक्ष ने रांची, झारखण्ड में 18.2.2008 से 22.2.2008 तक सर्किट कोर्ट आयोजित करने के लिए कहा था। प्रधान पीठ कैट, नई दिल्ली से सूचना प्राप्त करने के बाद, रांची पीठ के संबंधित अधिकारी ने झारखंड सरकार के गृह विभाग के सचिव को श्री बी.वी. राव के लिए आवास आरक्षित करने के लिए कहा। इसके परिणामस्वरूप, डी.आइ.जी. (कार्मिक) को खुखरी गेस्ट हाउस में कैट के दो सदस्यों के लिए दो कक्ष आरक्षित करने के लिए कहा गया। उस गेस्ट हाउस में कमरा संख्या 206 श्री बी.वी. राव को आवंटित किया गया था। उक्त कमरे में श्री बी.वी. राव का उचित प्राधिकार और आवंटन के अनुरूप अधिभोग था। जब श्री बी.वी राव 21.2.2008 को शाम लगभग 4.30 बजे, ट्रिब्यूनल से गेस्ट हाउस वापस आये,श्रीमती निर्मला चौधरी पुलिस महानिरीक्षक (प्रत्यर्थी -3) ने उससे पूछताछ किया कि वह किस हैसियत से वहां रह रहे हैं? श्री बी.वी. राव द्वारा अपनी पहचान बताने और जिस उद्देश्य से वह वहां आये थे उसके बारे में बताने के बावजूद, वह कमरे से चली गयी। थोड़ी देर बाद सायं करीब 5:15 बजे आठ पुलिसकर्मी, जो वर्दी में थे और उनके पास हथियार थे, उन्होंने उसके कमरे का बलपूर्वक कुंडी तोड़कर दरवाजा खोल दिया। उन्होंने श्री बी.वी. राव के साथ दुर्व्यवहार किया और पूरे कमरे की तलाशी ली। उन्होंने कैट के न्यायिक अभिलेख की भी जांच करने से गुरेज नहीं किया। उन पुलिसकर्मियों ने श्री राव को उनके सामान के साथ भूतल पर खींच लाए , जहां श्रीमती निर्मला चौधरी (प्रत्यर्थी संख्या 33) खड़ी थीं । उसने उन्हें अपना सूटकेस, ब्रीफकेस और अन्य सभी सामान खोलने के लिए विवश किया। उन्होंने उनका पहचान पत्र, फ्लाइट टिकट, टूर प्रोग्राम शीट और चेयरमैन द्वारा रांची में न्यायालय आयोजित करने के लिए दिया गया प्राधिकार पत्र छीन लिया था, इसके अलावा उनसे आपराधिक अभित्रास कारित किया गया और दुर्व्यवहार किया गया।

3. घटना के तुरंत बाद, श्री बी.वी. राव ने उसी दिन झारखंड के पुलिस महानिदेशक (बाद में डी.जी.पी.कहा जाएगा) को घटना के बारे में सूचित किया। डी.जी.पी. ने श्री पी.आर.के . नायडू, आई.जी., विशेष शाखा को मामले को देखने और तुरंत रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। जांच करने के बाद, श्री पी.आर.के . नायडू, आई.जी. ने दिनांक 22.2.2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, श्रीमती निर्मला चौधरी (प्रत्यर्थी संख्या -3) की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह किसी प्रकार के खण्डित मनोविकार (सीजोफ्रेनिया) से पीड़ित थी। उनके साथ ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र लोगों ने उसके अवैध आदेशों को कार्यान्वित किया । अगले दिन, डी.जी.पी. ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्री बी.वी. राव से उनके कक्ष में भेंट की और यह बताते हुये कि श्रीमती निर्मला चौधरी (प्रत्यर्थी संख्या -3) मनोविकार से पीड़ित थी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अक्षम्य व्यवहार के कारण उन्हें हुई गंभीर असुविधा के लिए व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगी।

4. दिनांक 21.2.2008 की घटना पर विचार करते हुए श्री बंदी भगत, कार्यालय प्रभारी, कैट, रांची द्वारा घटना की पूर्ण विवरण देते हुए डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी । इस प्रकार, दिनांक 22.2.2008 को केस संख्या 43 , धारा 143 , 144 , 146 , 323 , 339 व 352 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत श्रीमती निर्मला चौधरी (प्रत्यर्थी संख्या 3) और आठ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। इस बीच, कैट के न्यायिक सदस्य श्री बी.वी. राव ने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश और कैट के माननीय अध्यक्ष, प्रधान पीठ, नई दिल्ली को पत्र लिखकर पूरी घटना का विवरण दिया और भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से बचने के लिए कैट के सदस्यों की सुरक्षा हेतु उचित कदम उठाने का अनुरोध किया। उक्त पत्र को आपराधिक रिट याचिका के रूप में माना गया। इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 3 मार्च, 2008 के द्वारा भारत संघ, झारखंड राज्य और श्रीमती निर्मला चौधरी (प्रत्यर्थी संख्या 3) को नोटिस जारी किया गया।

5. माननीय अध्यक्ष कैट, नई दिल्ली ने 25 फरवरी, 2008 को, माननीय राज्य मंत्री, कार्मिक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को एक पत्र लिखकर सुरक्षा के बारे में अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए घटना का विवरण देते हुए उनके समक्ष , कैट के न्यायिक एवं प्रशासनिक सदस्यों की सुरक्षा मामला उठाया। 10 मार्च, 2008 को, झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना कार्यवाही प्रारंभ की । रिट याचिका (C) संख्या 1233 सन 2008 में (न्यायालय की स्वाप्रेरणा कार्यवाही बनाम झारखंड राज्य) दिनाँक 2/3.3.2008 को आदेश पारित कर विद्वान महाधिवक्ता से मामले को देखने और तत्काल उचित कार्यवाही करने को कहा। यद्यपि , इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इस न्यायालय ने घटना का संज्ञान लिया , उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.3.2015 के आदेश के तहत उक्त मामले की मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

6. कैट, पटना बेंच भी ने आदेश दिनांकित 22.4.2008 के द्वारा श्रीमती निर्मला चौधरी (प्रत्यर्थी संख्या 3) और आठ सशस्त्र पुलिसकर्मियों के विरूद्ध केस संख्या 22 सन 2008 में आपराधिक अवमानना कार्यवाही प्रारंभ की। उक्त मामला अभी भी विचाराधीन है। यद्यपि , कैट के माननीय अध्यक्ष द्वारा लिखे गए पत्र पर संबंधित मंत्रालय द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई । इस आपराधिक रिट याचिका में प्रत्यर्थीगण को अपने शपथपत्र दाखिल करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे। झारखंड राज्य और श्रीमती निर्मला चौधरी (प्रत्यर्थी संख्या 3) ने अपना-अपना प्रत्युत्तर दाखिल किये । लेकिन भारत संघ (प्रत्यर्थी संख्या - 1) ने प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया । झारखंड राज्य (प्रत्यर्थी संख्या 2) ने अपने गृह सचिव श्री सुधीर त्रिपाठी के माध्यम से स्वीकार किया है कि उक्त गेस्ट हाउस में कैट के विद्वान सदस्य श्री बी.वी. राव के लिए उचित आरक्षण किया गया था। यद्यपि, यह घटना इसलिये घटी क्योंकि श्रीमती निर्मला चौधरी (प्रत्यर्थी संख्या 3) की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित थी। उनके साथ सशस्त्र आरक्षियों ने उनके अवैध आदेशों का पालन किया और श्री बी.वी. राव को अभित्रस्त किया। श्रीमती निर्मला चौधरी (प्रत्यर्थी संख्या 3) ने मानसिक विकार के प्रभाव में उतवलापन दिखाया था । घटना के तुरंत बाद रांची के साथ-साथ बेंगलुरु में भी उनकी चिकित्सकीय जांच की गई और यह पता चला कि वह "आंशिक छूट में भ्रम विकार" से ग्रस्त थी। राज्य सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि उक्त घटना से उत्पन्न मामले में विधि के अनुसार सभी कदम उठायेगी ।

7. झारखंड राज्य (प्रत्यर्थी संख्या 2) ने स्वीकार किया था कि श्री बी.वी. राव द्वारा लगाया गया हर आरोप और कथन तथ्यात्मक रूप से सही था और श्रीमती निर्मला चौधरी (प्रत्यर्थी संख्या 3) ने न केवल श्री श्री बी.वी. के साथ दुर्व्यवहार किया, अपितु वहां मौजूद मेस प्रभारी को भी डांटा और उन्हें तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहा, अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा। इसके आगे स्वीकार किया कि अन्य आठ सुरक्षाकर्मियों ने श्री बी.वी. राव के साथ दुर्व्यवहार किया और उक्त सुरक्षाकर्मियों को निलंबित कर दिया गया ।

8. रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो-साइकेट्री एंड एलाइड साइंसेज (आर.आई.एन.पी.ए.एस.) का दिनांक 3 मार्च , 2008 का एक प्रमाण पत्र अभिलेख पर रखा गया है जिसके अनुसार श्रीमती निर्मला चौधरी (प्रत्यर्थी संख्या 3) "साइकोसिस पैरानॉयड डिल्यूज़नल डिसऑर्डर" से पीड़ित थीं।

9. श्रीमती निर्मला चौधरी (प्रत्यर्थी संख्या 3) ने प्रत्युत्तर में 15 नवंबर 2008 को शपथपत्र दाखिल किया और घटना के लिए पूर्ण और बिना शर्त माफी मांगी। आगे कहा गया कि वह मानसिक विकार से ग्रस्त थी। इसलिए, वह अपने साथ घटी वास्तविक घटना को बमुश्किल याद कर सकी। इस प्रकार, उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। अपने शपथपत्र के पैरा 14 में, उन्होंने निम्न प्रकार से कथन किया है:

> "यह कि अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि अभिसाक्षी की मानसिक असंतुलन और मन की भ्रमपूर्ण स्थिति के कारण, अपनी तर्क शक्ति पर या अपने व्यवहार पर, विशेष रूप से अपरिचितों से सामना होने पर, कोई नियंत्रण नहीं था।"

10. उसने कई पत्र और प्रेस क्लिपिंग भी प्रस्तुत किया है, जिसमें दर्शाया गया है कि वह हमेशा अपने जीवन के खतरे की आशंका से अपनी निजी सुरक्षा की मांग करती रही है,यद्यपि यह उसके मानसिक असंतुलन के कारण हो सकता है।

11. एमिकस क्यूरी के रूप में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ काउंसेल श्री यू.यू. ललित ने कैट के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार और आपराधिक अभित्रास की बार-बार होने वाली घटनाओं को इस न्यायालय के ध्यान में लाया और रिट याचिका संख्या 74 सन 2001 से संबंधित तथ्यों को रखा, जिसमें , कैट की पटना बेंच की न्यायिक सदस्य सुश्री साधना श्रीवास्तव के आवास पर गैंगस्टरों द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण घटना कारित की गई , जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यद्यपि, हम उक्त मामले के तथ्यों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उक्त मामले का निर्णय अलग से किया जाना है और उसे इस मामले से अलग कर दिया गया है। यद्यपि, यह स्पष्ट है कि जहाँ तक कैट के सदस्यों की कुशलक्षेम एवं सुरक्षा का प्रश्न है, सब कुछ अच्छा नहीं है। श्री ललित ने दलील दिया है कि वर्तमान मामले में, पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कैट के न्यायिक सदस्य को अभित्रस्त किया है,यद्यपि वह मानसिक विकार से पीड़ित हो सकती हैं। यद्यपि, कैट के माननीय अध्यक्ष द्वारा 25 फरवरी 2008 को लिखे गए पत्र पर भारत संघ के संबंधित मंत्रालयों द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी, जिसमें उन्होंने 6 जून, 2007 के अपने पहले पत्र का संदर्भ देते हुए अध्यक्ष से सुरक्षा प्रदान करने की मांग की थी और कैट के सदस्यों के लिए, इस न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कैट के सदस्यों को उचित सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी अप्रिय और अरूचिकर घटना से बचाया जा सके। न्याय प्रदान करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना राज्य प्राधिकारियों और अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों का दायित्व है।

12. झारखंड राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान काउंसेल ने न्यायालय को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार कैट के सभी सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी ताकि ऐसी घटना पुनः न हो।

13. भारत संघ की ओर से विद्वान काउंसेल श्री नरेश कौशिक ने तर्क दिया कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, भारत संघ और संबंधित राज्य प्राधिकरण न केवल कैट के सदस्यों को न्यूनतम शिष्टाचार प्रदान करने के लिए बाध्य हैं, बल्कि सभी को पर्याप्त सुरक्षा भी प्रदान करेंगे।

14. श्रीमती निर्मला चौधरी (प्रत्यर्थी संख्या 3) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ काउंसेल श्री राजू रामचन्द्रन ने तर्क प्रस्तुत किया कि जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, वह अनाशयित थी और इस तथ्य के कारण कि वह (प्रत्यर्थी संख्या 3) मानसिक विकार से पीड़ित थी। वह पटना कैट द्वारा प्रारंभ की गई आपराधिक अवमानना की कार्यवाही का सामना कर रही हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि कैट के सभी सदस्यों को किसी भी प्रकार के अपमान और अभित्रास से बचाने के लिए उचित सुरक्षा अपेक्षित है।

15. हमने पक्षकारों के विद्वान काउंसेल द्वारा की गई तर्कों पर विचार किया और अभिलेखों का अवलोकन किया है। श्रीमती निर्मला चौधरी (प्रत्यर्थी संख्या 3) और उनके साथ आठ अन्य पुलिस कर्मियों के हाथों श्री बी.वी. राव को आपराधिक अभित्रास करने और अपमानित करने के आरोप को बिना किसी तथ्य के नहीं कहा जा सकता। चूंकि झारखंड राज्य (प्रत्यर्थी संख्या 2) ने पूरी जांच की थी और रिपोर्ट सौंपी थी और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि रिट याचिका और आपराधिक अवमानना याचिका झारखंड उच्च न्यायालय और पटना में कैट बेंच में लंबित हैं, हम इस संबंध में कोई राय व्यक्त करना उचित नहीं समझते हैं कि उक्त घटना के संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जानी आवश्यक है । संबंधित न्यायालय / न्यायाधिकरण विधि के अनुसार आगे कार्यवाही करेंगे और निस्संदेह मामले को अपने तार्किक अंत तक पहुंचायेंगे। यद्यपि, यह स्पष्ट किया जाता है कि एतस्मिनपूर्व किया गया कोई भी संप्रेक्षण किसी भी पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यह राज्य प्राधिकारियों को निर्णय लेना है कि क्या श्रीमती निर्मला चौधरी (प्रत्यर्थी संख्या 3 राज्य को कोई भी सेवा प्रदान करने के लिए उपयुक्त हैं और यदि हां, तो किस क्षमता में।

16. यद्यपि, इस मामले की तथ्य-स्थिति और विद्यमान अन्य असाधारण परिस्थितियों पर विचार करते हुए और भारत संघ और झारखंड राज्य के लिए उपस्थित विद्वान काउंसेल द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्देशित किया जाता है कि भारत संघ और संबंधित राज्य आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर कैट के सभी

सदस्यों को आवश्यक न्यूनतम शिष्टाचार और पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेंगे। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के नियंत्रण के तहत सभी संबंधित प्राधिकारियों/व्यक्तियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।
17. मामले से पृथक होने से पहले, हम न्यायमित्र (Amicus Curiae) के रूप में न्यायालय को सहायता प्रदान करने के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यूयू ललित को धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं।

18. इस निर्णय की एक प्रति रजिस्ट्रार कैट, मुख्य पीठ, नई दिल्ली को यहां जारी निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए उचित कदम उठाने के लिए भेजी जाए ।
19. रिट याचिका तदनुसार निस्तारित की जाती है।
के.के.टी.

राजमंगल सिंह यादव
अपर जिला न्यायाधीश मेरठ